न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 48/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योदत्त जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

......वादी

बनाम

1. श्योदत्त पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. कुन्ती भूंवाल {पुत्री श्री श्योदत्त} पत्नी श्री आनन्द कुमार
3. किरण भूंवाल (पुत्री श्री श्योदत्त} पत्नी श्री सन्दीप कुमार

जाति जाट निवासीयान चक 5 ए.एस.बी मोटासर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रति.–4)

दिनांक 03.07.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्योदत्त वादी के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की बहने है। चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1(श्योदत्त पुत्र लिछमणराम) के नाम से 2269/6806 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी लिछमणराम पुत्र हरीराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 322 दिनांक 05/07/2008 द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 12 एफ बड़ा के खाता संख्या 88/19 के जमाबन्दी की एवं नामान्तरण संख्या 322 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्रीयां व एक पुत्र (कुन्ती भूंवाल, किरण भूंवाल एवं मुकेश कुमार) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1(श्योदत्त पुत्र लिछमणराम) के नाम से 2269/6806 हैक्टयर यानि 2.269 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.506 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मृतक भाई कृष्णलाल की धर्मपत्नी यानि अपनी भाभीजी श्रीमती विजय श्री को जरिये उपहार पत्र दिनांक 22/05/2020 के द्वारा दे दी है शेष 1.763 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.882 है. कृषि भूमि वादी को घरेलू बंटवारा में दी हुई है लेकिन उक्त विभाजन में आई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, वादी को घरेलू बंटवारा में दी उक्त 0.882 है. कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजरव रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी सं. 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1(श्योदत्त पुत्र लिछमणराम) के नाम दर्ज से 2269/6806 हैक्टयर यानि 2.269 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.882 है. कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 30.06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1(श्योदत्त पुत्र लिछमणराम) के नाम दर्ज से 2269/6806 हैक्टयर यानि 2.269 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.882 है. कृषि भूमि वादी मुकेश कुमार पुत्र श्योदत्त को घरेलू बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1(श्योदत्त पुत्र लिछमणराम) के नाम दर्ज से 2269/6806 हैक्टयर यानि 2.269 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.882 हैक्टर कृषि भूमि वादी मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योदत्त जाति जाट निवासी चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)की घोषित की जावे।

लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने साबते होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से जवाब लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने पिता श्योदत्त पुत्र लिछमण दास के नाम संयुक्तखाते में जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 12 एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जवाला खाता संख्या 88/19 पेश की जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार है। वादी द्वारा अपने दादा लिछमण दास के नाम वाद ग्रस्त आराजी से सम्बन्धित नामान्तरण ग्राम पंचायत 12 एफ बडा पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 67 पेश की। जिसका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैत्रक होना सिद्ध होता है। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

।। आदेश ।।

पक्षकारान के मध्य पारिवारिक सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वादी मुकेश कुमार पुत्र श्री श्योदत्त जाति जाट निवासी चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 88/19 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29 की कुल 6.806 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज से 2269/6806 हैक्टयर यानि 2.269 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.882 हैक्टयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.07.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner